खण्ड-457, अंक-5
बुधवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(8 मार्च, 2006 ई0)

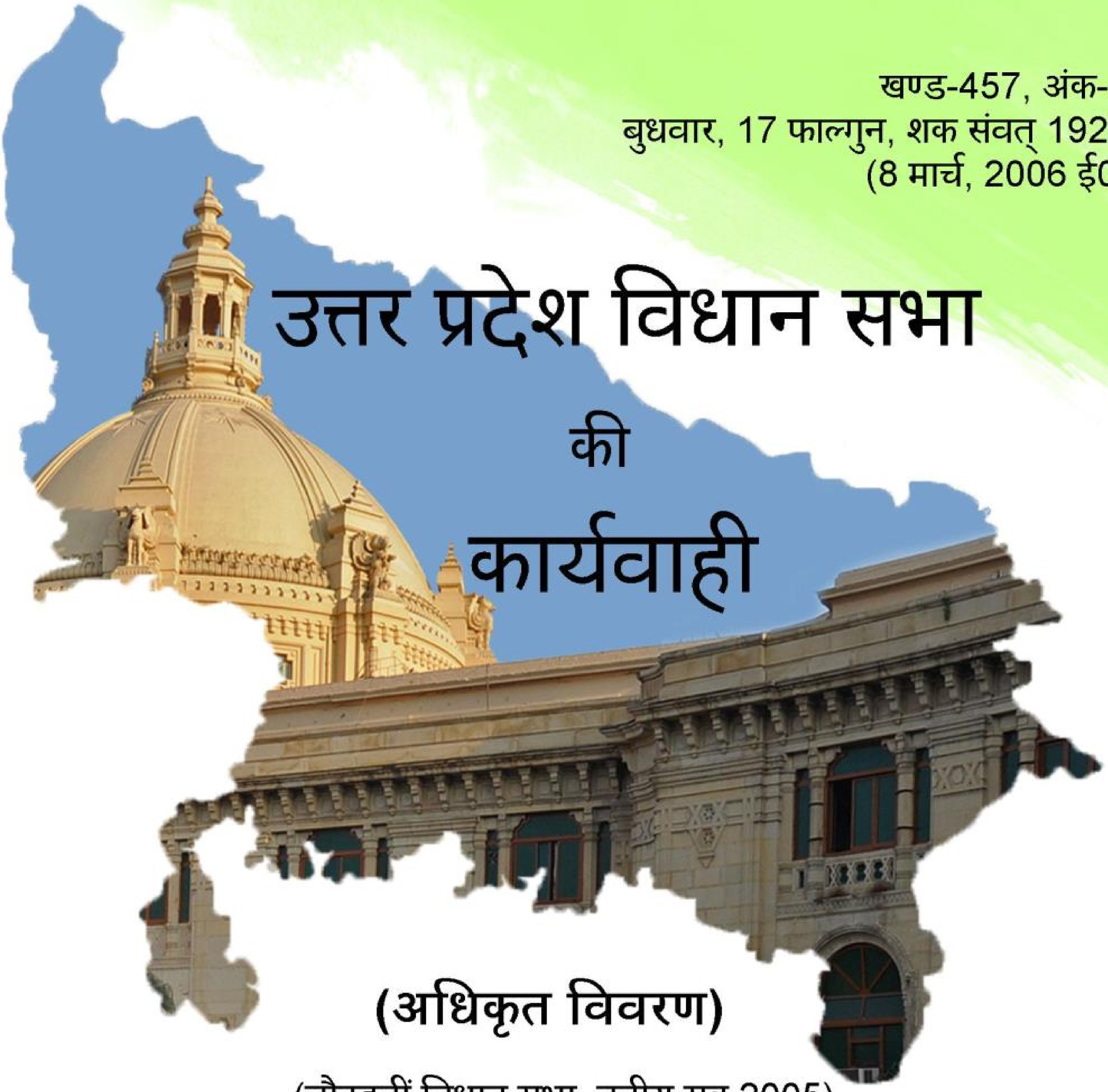

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ -ञ
काशी में हुये बम विस्फोट विषयक सूचना को उठाने का प्रयास ...	1
बहुजन समाज पार्टी से अलग हुये विधायकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	1-3
प्रश्नोत्तर	3-23
कार्य सूची की मद संख्या-3 से 7 तक का स्थगन	23
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	23-24
जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में विलुप्त हो रही कछुआ प्रजाति के संरक्षण एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी तस्करी रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24-25
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूप मण्डल वाराणसी में छंटनी शुदाकर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में की जा रही अनियमितता एवं धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
जौनपुर के बयालसी क्षेत्र के जल संकट के निवारण हेतु अधिकतम इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
चित्रकूट धाम में हो रहे राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजन हेतु गत वर्ष की भांति 5 लाख रुपये स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	26
जनपद पीलीभीत के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड का निर्माण कराने एवं अधिकांश स्कूलों में मिड-डे-मील एवं छात्रवृत्ति न बंट पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	26-27
बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के प्रस्तावित पार्क में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति लगवाने तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में शहीद सुशील कुमार शर्मा मार्ग का पेंटिंग लेपन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27-28
मेरठ के शिवालखास क्षेत्रान्तर्गत जर्जर एवं पुराने विद्युत तारों/पोलों को बदलवाने एवं 18 घण्टें विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
अर्लागढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत बसन्त विहार कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण एवं सीवर/नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	28
आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा गौरा में स्वीकृत आश्रम पद्धति इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ हरदोई मार्ग से ग्राम लोधौसी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	29
जनपद अम्बेडकर नगर में गन्ना क्रय केन्द्र केदार नगर, टांडा के किसानों का गन्ना अकबरपुर चीनी मिल द्वारा न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29
विधान सभा नगर पूर्व बस्ती के ग्राम गोविन्दापुर को मनोरमा नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29-30
जिला योजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	30-31
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	31
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	31-32
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर रोड पर स्थित 'जय भीम' नगर नामक मलिन बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	32-33
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	33-34
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा वर्ष 2005-2006 में आयोजित बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	34-35
जनपद बाराबंकी स्थिति बुढ़वल शुगर मिल राम नगर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	35-36
चित्रकूट में रामायण मेले के आयोजन हेतु सरकार द्वारा अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	36-37

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद भदोही में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पुलिस की गोली से श्री गिरीश नारायण पाण्डेय की मृत्यु हो जाने एवं उनके परिवार को सहायता न दिये जाने तथा घटना की सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंग नाथ मिश्र, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	37-38
गौतम बुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के समय गांव में बसी आबादी की भूमि न छोड़ने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	38-39
आगरा शहर के नालों की नियमित सफाई न होने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	39-40
पीलीभीत जिला जेल में शाहजहांपुर निवासी मुकेश राठौर (बन्दी) की पुलिस द्वारा उत्पीड़न के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	40-41
जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास के पत्थर को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंग नाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	41-42
जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला स्थिति मोदी एक्सपोर्ट कारखाने में पड़ी भीषण डकैती के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	42-43
जनपद बलिया के ग्राम भानपुर, चितबड़ागांव स्थित कु0 शीतल पुत्री शिव नारायण, का अपहरण किये जाने एवं अभी तक उसका पता न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री घूरा राम, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	43-44
जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में सैकड़ों एकड़ अतिरिक्त भूमि को भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	44-45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-324

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव,श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर

ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर

नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	सत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद

विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'', श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़		

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

काशी में हुए बम विस्फोट विषयक सूचना को उठाने का प्रयास

(सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्यगण सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थानों पर जायें।

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे तथा नारेबाजी करते रहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए विधायकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं एक निर्णय सदन को दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिनांक 01 मार्च, 2006 को बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के विषय में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2006 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सदन में एक औचित्य का प्रश्न उठाया था जिसके विषय में मैंने कहा था कि मैं उनकी नोटिस तथा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के उपरान्त अपना निर्णय दूंगा। अतः मैं श्री राजेन्द्र सिंह राणा के आवेदन-पत्र और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपना निर्णय दे रहा हूं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) के निर्णय दिनांक 28-2-2006 के द्वारा 37 विधायकों द्वारा बहुजन समाज पार्टी में किए गए विभाजन तथा समाजवादी पार्टी में विलय और उनकी निर्हरता का विषय विधान सभा अध्यक्ष के पुनर्विचार हेतु आदेश जारी किए गए हैं। तीन न्यायाधीशों ने अपने अलग-अलग निर्णय दिए हैं। मा0 मुख्य न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है। मा0 न्यायमूर्ति श्री जगदीश भल्ला तथा न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कांत ने निर्देशित किया है कि मामले पर पुनर्विचार किया जाए और यह कार्यवाही दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अन्तर्गत करते हुए सभी प्रार्थना-पत्रों को निर्णीत किया जाए। इन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में कुछ समय लगना अवश्यम्भावी है। इस सम्बन्ध में संबंधित पक्षों को अग्रिम कार्यवाही हेतु अलग से सूचना जारी की जाएगी। प्रश्न यह है कि सदन में उक्त विषय के निर्णय तक इन विधायकों की स्थिति क्या होगी ? इस सम्बन्ध में मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कांत के निर्णय में मार्गदर्शन दिया गया है और अन्य न्यायमूर्तिगण ने उसके विपरीत कोई निर्देशन नहीं दिया है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कांत ने अपने निर्णय में निम्नवत् मार्ग दर्शन दिया है :-

"(इट इज नो गेन सेइंग दैट दी स्पीकर हैज दी रिस्पान्सविलिटी आफ स्मूथ फंक्शनिंग आफ दी हाउस एण्ड कान्सीक्वेन्टली ही हैज फुल पावर्स टू डू अण्डर दी लीगल फ्रेमवर्क ह्वाट एवर इज डिजायर्ड फार सच रनिंग आफ दी हाउस। दिस आलसो कास्ट्स रिस्पान्सविलिटी अपान दी स्पीकर टू सी दैट दी गवर्नमेन्ट इज नाट डिस्टेब्लीस्ड एण्ड डिफेक्सेंस आर नाट प्रोटेक्टेड इन दी केस दी

डिफेक्टर्स हैव इनक्योरेड एनी डिसक्वालीफिकेशन एण्ड आल्सो वेदर सच डिसक्वालीफिकेशन स्टैण्ड्स एवाइडेड)''

उन्होंने पुनः कहा है :-

''दस फार आल प्रोसीडिंग एण्ड परपज इन दी हाउस ए न्यूली फार्मड लेजिस्टलेचर पार्टी व्हिच हैज बीन फार्मड आफ्टर दी डेट आफ फर्स्ट सीटिंग आफ दी हाउस हैच ए राइट टू चूज इट्स ओन लीडर आफ दी पार्टी एण्ड टू इन्फार्म दी सैड फैक्ट टू दी स्पीकर हू उड डिस्चार्ज फंक्शन्स आफ दी लीडर आफ दी पार्टी इन दी हाउस, अण्डर दीज रूल्स, देयर इज नो प्रोविजन सो ऐज टू रिक्वायर दी स्पीकर टू गिव एनी रिकगनीसन टू सच न्यूली फार्मड लेजिस्लेचर पार्टी बट सच लेजिसलेचर पार्टी, फ्राम दी डेट इट। (कम्स इन्टू इक्सीसटेन्स, हैज ऐन इन डिपेन्डेन्ट आइडेन्टीटी एगेन्सट इट्स ओरीजनल पॉलीटिकल पार्टी एण्ड आल अदर पार्टीज अनलेस इट मर्जस विद एनी अदर पालीटिकल पार्टी, देयर फोर, सो फार ऐज दी स्टैटस आफ दी न्यूली फार्मड लेजिसलेचर पार्टी इज कन्सर्नड, इन रिगार्ड टू दी चूजिंग आफ दी लीडर एण्ड इट्स पार्टीसिपेशन इन दी हाउस, देयर कैन नाट बी एनी डाउट एबाउट इट्स एक्सीसटेन्स बट इट उड नाट मीन दैट इफ दे हैव इनक्योर्ड डिसक्वालिफिकेशन अण्डर पेरा-2 दैट उड स्टैण्ड विण्ड आउट)'' उक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए और विधायकों के विभाजन एवं विलय सम्बन्धी आवेदन पत्रों को ध्यान में रखते हुए मैं पूर्ण रूप से सदन के भीतर अन्तरिम व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं सदन के सुचारु संचालन हेतु प्रमुख सचिव को निर्देशित करता हूं कि सम्बन्धित विधायकगण पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठेंगे और तद्नुसार सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे । प्रमुख सचिव, विधान सभा तद्नुसार व्यवस्था करेंगे एवं अग्रिम कार्यवाही करें। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था केवल सदन के सुचारु संचालन के लिये अन्तरिम व्यवस्था है और यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विभाजन एवं विलय की मान्यता नहीं है। विभाजन एवं विलय की मान्यता का प्रश्न दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के अन्तर्गत संबंधित पक्षों को सुनने के उपरान्त अलग से निस्तारित किया जाएगा और यह अन्तरिम व्यवस्था पैरा 6 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय होने तक ही रहेगी और तदुपरान्त अन्तिम निर्णय पूर्णरूप से लागू होगा। साथ ही इस अन्तरिम व्यवस्था से प्रभावित किसी भी विधायक के पक्ष में दसवीं अनुसूची की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा और इसका पक्षकारों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि इसमें से कई सदस्य माननीय मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, इसलिये वे भी पूर्ववत् अपने स्थानों पर ही बैठेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते रहने और अपने स्थानों पर वापस न जाने पर)

मैं 12.20 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 35 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 12 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक और बढ़ा दिया है। 1 बजे

मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 50 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बर्ड फ्लू रोकने के उपाय

**1-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पक्षियों में फैल रही संक्रामक बीमारी "बर्ड फ्लू" का प्रवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा "बर्ड फ्लू" को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में इस बीमारी ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। अद्यावधिक जानकारी के अनुसार प्रदेश के किसी भी भाग में इस बीमारी के संक्रमण की कहीं पुष्टि नहीं हुई है।

"बर्ड फ्लू" का कोई भी संक्रमण उत्तर प्रदेश में नहीं है फिर भी संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न होने अथवा संक्रमण होने से निपटने के लिये भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण तैयारी कर ली गयी है।

प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष सदस्य हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है। पशुपालन निदेशालय स्तर पर रैपिड रिस्पान्स टीम का भी गठन किया गया है। प्रत्येक कार्य दिवस में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक कर सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी टास्क फोर्स की बैठकें कर सघन अनुश्रवण एवं पूर्ण सतर्कता से निगरानी की जा रही है। इसके अनुश्रवण हेतु पशुपालन निदेशालय पर कन्ट्रोल रूम कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी विधवाओं को पेंशन देने का प्रस्ताव

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की सभी विधवाओं को पेंशन देने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो पेंशन स्वीकृत करने का मानक क्या है ? क्या उक्त मानक के आधार पर समस्त विधवाओं को पेंशन स्वीकार कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण निर्धारित लक्ष्य के आधार पर पति की मृत्यूपरान्त निराश्रित पात्र 6,16,576 महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

पति की मृत्यूपरान्त निराश्रित महिला, जिसका कोई लड़का या पोता (लड़के का लड़का) न्यूनतम 20 वर्ष की आयु का न हो अथवा यदि है तो सम्बन्धित महिला का भरण-पोषण करने में असमर्थ है या नहीं करता हो अथवा जो गरीबी की रेखा से नीचे हो, पेंशन पाने की पात्र होंगी।

जी नहीं, आगामी वित्तीय वर्ष 2006-2007 में समस्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित पात्र महिलाओं को पेंशन स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रदेश में उपभोक्ताओं को ईंधन गैस (एल0 पी0 जी0) सिलिण्डर तौल कर दिये जाने के निर्देश

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि ईंधन गैस (एल0 पी0 जी0) सिलिण्डरों में निर्धारित वजन से कम मात्रा में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें निश्चित वजन के सिलिण्डर की आपूर्ति हो सके ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

जी नहीं।

एल0 पी0 जी0 सिलिण्डरों की होम डिलेवरी के समय स्प्रिंग बैलेंस से सिलेण्डर तौलकर दिये जाने हेतु गैस वितरकों को निर्देशित करने के आदेश शासनादेश दिनांक 30-8-2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, उ0 प्र0 को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा अपने गैस वितरकों को स्प्रिंग बैसेन्स से सिलेण्डर तौलकर दिये जाने के निर्देश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में "बाईरल शोध केन्द्र" की स्थापना की घोषणा

*3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने 28 सितम्बर, 2005 को गोरखपुर यात्रा के दौरान गोरखपुर में "बाईरल शोध केन्द्र" की स्थापना तथा इस हेतु 8 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा भी की थी ? इस केन्द्र में किस प्रकार की जांच तथा अनुसंधान की व्यवस्था की जायेगी ? क्या उसमें शोध वैज्ञानिकों की नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जनपद गोरखपुर के भ्रमण के दौरान दिनांक 28 सितम्बर, 2005 को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दिमागी बुखार (जापानी इन्सेफेलाइटिस) के रोगियों के इलाज के लिए एक शोध केन्द्र लागत रु0 8.00 करोड़ में स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी।

इस शोध केन्द्र में जापानी इन्सेफेलाइटिस की जांच व शोध तथा मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु कार्य किया जायेगा।

शोध केन्द्र में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य व अन्य लैब स्टाफ की नियुक्तियाँ की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायरल इन्सेफेलाइटिस की बीमारी को रोकने के उपाय

*4-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में वायरल इन्सेफेलाइटिस बीमारी से पिछले छः महीनों में कितनी मौतें हुई हैं ? इस बीमारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में सम्भावित मस्तिष्क ज्वर (जे0 ई0) से प्रभावित जनपदों में पिछले छः महीनों में (माह जुलाई से 31 दिसम्बर, 2005 तक) 1387 मौतें हुई हैं।

सरकार द्वारा इस घातक बीमारी की रोकथाम के लिए सभी निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाहियां की गयी हैं। इसके अन्तर्गत मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) से बचाव हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर नियंत्रण तथा रोगियों को तुरन्त चिकित्सालय में भर्ती कराने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था तथा सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गयी है। सर्वाधिक प्रभावित 05 जिलों जनपद-गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर तथा खीरी में 1 से 15 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए वृहद टीकाकरण किये जाने की योजना है।

प्रदेश में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन की कार्य योजना

*5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार फाइलेरिया रोग का उन्मूलन करने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

फाइलेरिया रोग के प्रसार को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोकना एवं फाइलेरिया के रोगियों यथा हाथी पांव, हाइड्रोसील की पहचान कर औषधि/शल्य चिकित्सा द्वारा रुग्णता प्रबन्धन करना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा में गत वर्ष सैफई महोत्सव कराने का उद्देश्य एवं व्यय विवरण

*6-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 16 दिसम्बर, 05 से इटावा जनपद में प्रारम्भ सैफई महोत्सव का उद्देश्य क्या है तथा इससे उस क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिलता है ? उक्त महोत्सव के आयोजन में सरकार द्वारा वर्ष 2005 तथा 2006 में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार इस प्रकार के महोत्सव प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आयोजित करेगी ? यदि हां, तो कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राना-

ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता एवं कला तथा संस्कृति के विभिन्न रूपों से ग्रामीण जनता को लाभान्वित कराने का सैफई महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य है तथा इससे उस क्षेत्र की जनता को प्रदेश और देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं उद्योग आदि अनेक विभागों से सम्बन्धित शासन की योजनाओं की जानकारी आदि का लाभ मिलता है। वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में उक्त महोत्सव का आयोजन क्रमशः दिनांक 12 से 23 जनवरी, 2005 तथा दिनांक 16 से 27 दिसम्बर, 2005 तक की अवधि में किया गया जिसमें दिनांक 12 से 15 जनवरी, 2005 एवं दिनांक 16 से 19 दिसम्बर, 2005 तक संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहभागिता की गयी जिस पर क्रमशः कुल रुपये 58.86 लाख एवं 60.49 लाख व्यय हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृति विभाग महोत्सवों का आयोजन नहीं करता है। प्रदेश में मण्डल एवं जिले स्तर पर महोत्सव स्थानीय समितियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

प्रदेश में मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उपाय

*7-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मिट्टी तेल की कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार मिट्टी तेल फ्री सेल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

कुछ समाचार पत्रों में मिट्टी तेल की कालाबाजारी होने के समाचार प्रकाशित हुए थे, जिसे शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है तथा मुख्य सचिव उ0 प्र0 के आदेश दिनांक 02-12-2005

द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में टास्क फोर्स गठित करके दिनांक 10-12-2005 से 25-12-2005 तक सघन जांच अभियान चलाया गया जिसमें पूरे प्रदेश में कुल 17167 छापे मारे गये 1163 प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गई, 1967 उचित दर दुकानें निलम्बित की गई तथा 284 दुकाने निरस्त की गई है। अभियान के दौरान रुपये 3815665.00 मूल्य की धनराशि एवं वस्तुएं शासन के पक्ष में जब्त की गई है।

मिट्टी तेल पूर्णरूप से भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है और इस सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर में संविदा पर तैनात शैक्षिक पदों की भांति अन्य कर्मियों को तदर्थ/नियमित किये जाने की मांग

*8-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्षों से संविदा/नियत वेतन पर तैनात कर्मियों को तदर्थ/नियमित किये जाने की कोई नीति सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में संविदा पर तैनात शैक्षणिक पद धारकों को तदर्थ/नियमित किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिवार कल्याण विभाग के संस्थान में वर्षों से संविदा/नियत वेतन पर तैनात अन्य कर्मियों को भी इसी प्रकार तदर्थ/नियमित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ में नियमित वेतनमान में सृजित 15 शैक्षिक पदों को विज्ञापन कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार से भरे जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि तत्समय तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगी थी अतः विभाग की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय चयनित अभ्यर्थियों को नियत वेतन पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 7-3-96 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गयीं, जिन्हें कालान्तर में विज्ञापन के अनुरूप नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान प्रदान करते हुए तदर्थ घोषित किया गया है।

संस्थान में वर्तमान में कोई कर्मी नियमित वेतनमान के पदों के सापेक्ष संविदा पर तैनात नहीं है। नियत वेतन में सृजित पदों पर 2 कुक, 2 कहार एवं 2 अंश कालिक सफाईकार कर्मी नियुक्त हैं। नियत वेतन में सृजित पदों पर संविदा/नियत वेतन पर कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ/नियमित किए जाने की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के सरोजनीनगर परियोजना में पुष्टाहार ढुलाई में शासकीय क्षति की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि सरोजनीनगर परियोजना, लखनऊ में पुष्टाहार ढुलाई में जनवरी, 1995 से मार्च, 1999 तक हुई शासकीय क्षति की जांच श्री मनमोहन लाल गुप्ता, ए0 डी0 एफ0 द्वारा करके तत्कालीन सी0 डी0 पी0 ओ0 दीपिका घोष को दोषी पाकर उनसे वसूली करने के आदेश पत्रांक 3337/38/बा0वि0परि0/आडिट/ 2003-04, दिनांक 28 अगस्त, 2003 द्वारा निर्गत किये थे ? यदि हां, तो 28-8-03 की उक्त जांच के आधार पर उपरोक्त 31000/- की वसूली की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी नहीं। विभागीय सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से मार्च, 1998 की परिपालन आख्या के आधार पर सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22-5-98 के प्रस्तर-14 में पुष्टाहार ढुलाई व्यय में रु0 29,966 एवं प्रस्तर-16 रु0 1041 के अधिक भुगतान की वसूली के आदेश किसी अधिकारी विशेष हेतु जारी नहीं किये गये बल्कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सरोजनीनगर को दिनांक 28-8-03 द्वारा नियमानुसार वसूली के निर्देश दिये गये।

महिला बाल विकास, अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-5-03 द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री करुणा जायसवाल के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में सम्परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर-14 एवं 16 में उल्लिखित धनराशि की क्षति के लिए सुश्री करुणा जायसवाल को दोषी पाते हुए वसूली के आदेश दिये गये। चूंकि करुणा जायसवाल द्वारा दिसम्बर, 2003 से अपने वेतन का आहरण नहीं किया गया इसलिए पुष्टाहार ढुलाई से सम्बन्धित अभी तक कोई भी वसूली नहीं की जा सकी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम शाहीशंकरपुर में रामवती को पेंशन दिलाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

2-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम शाहीशंकरपुर, वि0 खं0 जैतीपुर में रामवती को पेंशन दिलाने विषयक मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-132528/05, दिनांक 27-9-05 प्रमुख सचिव/सचिव, महिला कल्याण/बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

श्रीमती रामवती पत्नी स्व0 भूपलाल को उनकी पेंशन की धनराशि उनके बैंक खाता संख्या-4968, शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बैंकर्स चेक संख्या 115288, रु0 1500 दिनांक

28-7-05 एवं पत्र संख्या 343, दिनांक 23-8-05 द्वारा रु0 900 तथा द्वितीय छमाही की पेंशन पत्र संख्या-सी-757, दिनांक 21-11-05 द्वारा बैंक खाते में अन्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी की तैनाती की जानकारी

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के प्रत्येक चिकित्सालय एवं प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी कब तक तैनात कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

4-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय तथा ग्रामीण सामुदायिक केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के 14, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 09 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के 46 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों के उपर्युक्त रिक्त पदों में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 25 चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा चुकी है। प्रदेश में कुल 2126 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एच0आई0वी0/एड्स की जांच

5-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उनके पत्रांक संख्या-एड्स सोसा0/सी0 ओ0 ओ0 आर0 डी0/एफ0 एच0 ए0सी0/3/2005/1-614,/दिनांक 12-9-05 द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 05 से 30 अक्टूबर, 05 तक एच0आई0वी0/एड्स संक्रमण रोग का निःशुल्क इलाज प्रत्येक जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद शाहजहांपुर के प्रत्येक ग्राम सभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एच0आई0वी0/एड्स का इलाज किन-किन रोगियों का

और किन-किन चिकित्सकों द्वारा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर में एच0आई0वी0/एड्स का कोई रोगी पाया गया है ? यदि हां, तो उस रोगी का क्या नाम है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान के दौरान यौन जनित रोगियों के निःशुल्क जांच एवं उपचार हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र में की गई जांच के अनुसार अब तक एच0आई0वी0 के 09 तथा एड्स के 06 रोगी चिन्हित किये गये हैं।

एच0आई0वी0/एड्स राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत जांच के उपरान्त व्यक्ति के एच0आई0वी0 की स्थिति को गोपनीय रखे जाने का प्राविधान है।

जनपद शाहजहांपुर की श्रीमती कुसुमा देवी व अन्य को वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

6-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती कुसुमा देवी व अन्य निवासी जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-130361/05, दिनांक 5-8-2005 प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव की तहसील-हसनगंज की ग्राम सभा-बयारी की सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार द्वारा की गयी अनियमितता पर कार्यवाही की जानकारी

7-श्री कौशल किशोर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा-बयारी गांव, विकास खण्ड-औरास, तहसील-हसनगंज, जनपद-उन्नाव की सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण मिड-डे मील योजना बन्द होने/काला बाजारी एवं मिट्टी के तेल का अधिक दर पर वितरण करने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान सहित ग्राम वासियों का 12-12-2005 दिनांकित एवं संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती प्रार्थना-पत्र जो श्री रामकृष्ण, अध्यक्ष, यू0 पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कार्पो0 लि0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 12-12-2005 को रजिस्टर्ड डाक से आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भइया'-

जी हां।

ग्राम सभा-बयारी गांव, विकास खण्ड-औरास, तहसील-हसनगंज, जनपद-उन्नाव के उचित दर विक्रेता श्री विजय कुमार के विरुद्ध अनुसूचित वस्तुओं के अनियमित वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में दुकान हेतु प्रतिपादित अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में चालू परियोजना के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर रखे अधिकारियों को मूल विभाग में वापसी की मांग

8-श्री कौशल किशोर-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के चौथे बुधवार को निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-21 के उत्तर के संदर्भ में क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना की अवधि की समाप्ति पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को उनके मूल विभाग में कब तक वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

परियोजना अवधि के समाप्त होने पर यथा समय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को वापस किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-गोरखपुर के नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिशुनपुरा को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग

9-श्री सदल प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिशुनपुरा, जनपद-गोरखपुर को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, पूर्व सांसद, गोरखपुर का पत्र सी0एम0ओ0, गोरखपुर व मा0 मंत्री को माह जनवरी, 2005 से माह अक्टूबर, 2005 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व अन्य मदों में व्यय धनराशि में अनियमितता की कथित जांच की जानकारी

10-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे केन्द्र पोषित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व अन्य मदों में व्यय की गयी धनराशि में अनियमितता सम्बन्धी कोई जांच

दिसम्बर, 2005 में की गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

दिसम्बर, 2005 में कोई जांच आदेशित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीरनगर के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय, बेलहर कला के सेवा निवृत्त चिकित्सक डा0 बालचन्द्र यादव की सैन्य सेवा को पेंशन से जोड़कर लाभ दिलाये जाने की मांग

11-श्री राम करन आर्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्त चिकित्सक डा0 बालचन्द्र यादव, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय, बेलहर कला, सन्त कबीरनगर की सैन्य सेवा को पेंशन में जोड़ने हेतु दिनांक 8-8-05 को नियम 301 के अन्तर्गत मा0 विधायक श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा दी गई सूचना स्वीकार कर ली गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सूचना स्वीकार करने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने तथा पेंशन का लाभ न दिये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार सेवानिवृत्त चिकित्सक को पूर्ण पेंशन का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

मा0 विधायक श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना दिनांक 8-8-05 के संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 16-11-2005 द्वारा मा0 सदस्य को यह अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त डा0 बाल चन्द्र यादव, सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी सन्त कबीर नगर की दिनांक 01-10-1960 से 20-8-1967 तक भारतीय नौसेना में की गयी पूर्व की सेवाओं को पेंशन लाभ हेतु राजकीय अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने हेतु शासनादेश दि0-2-2-2006 को निर्गत किया जा चुका है। अतः उक्त सूचना स्वीकार होने के उपरान्त कोई कार्यवाही न करने तथा पेंशन का लाभ न दिये जाने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उसमें उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण

12-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विभाग द्वारा कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ? दिनांक 1-4-05 से 1-1-06 तक विभाग द्वारा कौन सी तथा कितनी सामग्री विभिन्न केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद शाहजहांपुर में विभाग द्वारा 16 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 1689 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

दिनांक 01-04-2005 से 01-01-2006 तक उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करायी गयी-

मेडिसिन किट्स
सर्वे रजिस्टर
फुलवारी-अंक-07
फुलवारी-अंक-08
मार्ग निर्देशिका
आयोडीन नमक किट्स
इमाइलेज रिच इनर्जी फूड
वीनिंग फूड
आर0 वी0 आयल।

उक्त 1689 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित की गई सामग्री की सूची विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है। अतः यह सूची मा0 अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गयी है।

लखनऊ के राज्य मलेरिया मुख्यालय में 30 वर्षों से कार्यरत आशुलिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

13-श्री राम शंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मलेरिया मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कितने आशुलिपिक विगत 30 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या इन आशुलिपिकों का स्थानान्तरण शासनादेश के अनुरूप अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

राज्य मलेरिया मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कोई भी आशुलिपिक विगत 30 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत किये जाने विषयक पत्र

14-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 जैतीपुर, ग्राम गढ़िया रंगीन, जनपद शाहजहांपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र की मरम्मत कराने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-129509/05, दिनांक 27-7-05 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस-III कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न संवर्गों के संविदा पर तैनात कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग

15-श्री दयाशंकर वर्मा-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के 110 विकास खण्डों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित आई0 सी0डी0एस0-III कार्यक्रम के संचालन हेतु लगभग 6 वर्षों से बाल विकास परियोजना अधिकारी, लेखा लिपिक तथा मुख्य सेविका आदि संवर्ग के कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी कर्मचारियों को आई0सी0डी0एस0 सामान्य में नियमित रिक्त पदों पर समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आई0सी0डी0एस-III विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम वर्ष 1999 से प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को संविदा पर तैनात किया गया है। इस प्रकार समस्त कर्मचारी 6 वर्ष से संविदा पर कार्यरत नहीं है।

आई0सी0डी0एस0-III के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत समस्त कर्मचारी केवल इस कार्यक्रम के संचालन के लिये ही संविदा पर तैनात किये गये हैं। ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने का प्राविधान सम्बन्धित सेवा नियमावली में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सन्त कबीरनगर के कतिपय स्थानों में सरकारी खाद्यान्नों की कालाबाजारी विषयक प्राप्त पत्र पर जांच/कार्यवाही की मांग

16-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री जगन प्रसाद गर्ग, सदस्य, विधान सभा का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 13-12-2005, जो जनपद सन्त कबीरनगर के मेहदावल, सिमरियावां तथा खलीलाबाद में सरकारी खाद्यान्नों की कालाबाजारी व नीलामी से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्री मोहम्मद उमर भी संलिप्त पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में विकलांग पेंशन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने की मांग

17-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद झांसी में विकलांग पेंशन हेतु पात्र नये आवेदकों को बजट धनराशि न होने के कारण पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांग पेंशन हेतु धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में पात्रता क्षेत्र में आने वाले समस्त विकलांग व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

18-श्री राम करन आर्य-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद पीलीभीत में जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद न होने पर भी नियुक्ति के प्रकरण की जानकारी

19-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में 24 जिला कार्यक्रम अधिकारियों की कमी के कारण मंडल मुख्यालय का कार्य जनपद प्रभारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जनपद-पीलीभीत में जिला कार्यक्रम अधिकारी

का पद स्वीकृत न होने पर भी वहां जिला कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में मण्डल मुख्यालय पर कोई पद सृजित नहीं है। अतः मण्डल मुख्यालय का कार्य जनपद प्रभारियों से लिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पद को जनपद पीलीभीत से सम्बद्ध करते हुए कार्यहित में अधिकारी तैनात किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के ग्राम बेलवा जंगल की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को बहाल करने विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

20-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-560/दि0 18-01-06 जो जिलाधिकारी, कुशीनगर को सम्बोधित था तथा ग्राम-बेलवा जंगल की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को बहाल किये जाने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

अपील संख्या-157/के0 वर्ष 2005 कोमल प्रसाद बनाम उप जिलाधिकारी, पडरौना वाद में मा0 न्यायालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने पारित आदेश दिनांक 12-7-2005 के द्वारा अवर न्यायालय उप जिलाधिकारी, पडरौना का निलम्बन आदेश दिनांक 2-6-2005 स्थगित कर दिया । मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-7-2005 की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 13-7-2005 को प्रस्तुत किया जबकि उसके दुकान का अनुबन्ध दिनांक 11-7-2005 को निरस्त किया जा चुका था।

चूंकि मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 12-7-2005 प्रश्नगत वाद में दुकान के अनुबन्ध के निलम्बन के विरूद्ध दिया गया था तथा दुकान का अनुबन्ध स्थगन आदेश प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक 11-7-2005 को निरस्त किया जा चुका था। अतः न्यायालय का स्थगन आदेश उपर्युक्त वर्णित स्थिति में स्वतः निष्प्रभावी हो गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सामान के वितरण संबंधी जानकारी

21-श्री राम करन आर्य-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामान का वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सी0डी0पी0ओ0, फतेहपुर मण्डाव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं। विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव जनपद मऊ में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपयोगार्थ सामग्री की आपूर्ति की जानकारी

22-श्री राम करन आर्य-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं एवं कोई सामान का वितरण नहीं किया जा रहा है और अधिकांश केन्द्र बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में स्वीकृत सभी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें इमाईलेज रिच एनर्जी फूड तथा बच्चों और महिलाओं के उपयोगार्थ सामग्री की आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर से पीलीभीत में सम्मिलित किये गये गावों को आंगनवाड़ी योजना का लाभ दिये जाने की मांग

23-डा0 विनोद तिवारी-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 2001 में जनपद-शाहजहांपुर से जनपद पीलीभीत में सम्मिलित किये गये 94 गांवों में क्या विकास खण्ड पूरनपुर के अन्य गांवों की भांति आंगनबाड़ी योजना का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पूरनपुर के जिन 94 गांवों को जनपद पीलीभीत में सम्मिलित किया गया है, उनमें अन्य गावों की भांति आंगनबाड़ी योजना संचालित नहीं थी अतः उक्त गांव में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया महोली तथा हरगांव के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गत वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण

24-श्री राम हेत भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के वि0 खं0 ऐलिया, महोली तथा हरगांव के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति क्या अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वितरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया, महोली तथा हरगांव में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-05 के शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वितरित कर दी गई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी, सीतापुर को सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

शैक्षिक सत्र वर्ष 2005-06 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विकास खण्ड ऐलिया के 113 विद्यालयों के सापेक्ष 85 विद्यालयों में महोली के 118 विद्यालयों के सापेक्ष 75 विद्यालयों में तथा हरगांव के 125 विद्यालयों के सापेक्ष 114 अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। अवशेष विद्यालयों में वितरण की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन डा0 राजेश कुमार चतुर्वेदी के अवैतनिक अवकाश की अवधि का वेतन दिये जाने का प्रकरण

25-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 राजेश कुमार चतुर्वेदी, आर्थोपेडिक सर्जन (आर0 डी0 एम0 ओ0) जिला अस्पताल, झांसी का दिनांक 30-5-94 से 29-5-96 तक अवैतनिक अवकाश की अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृत कर उक्त अवधि का वेतन दिये जाने का प्रकरण वर्ष 1997 से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उसका निस्तारण शीघ्र करायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 593/वि0स0/आ0स0/05, दिनांक 27-10-05 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के खुदायार खां वार्ड एवं सहादतगंज वार्ड की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के खाद्यान्न की काला बाजारी की जानकारी

26-श्री राम करन आर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित कटरा खुदायार खां वार्ड एवं सहादतगंज वार्ड में कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं ? क्या यह सही है कि कटरा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अन्त्योदय योजना का वितरित किये जाने वाला खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल की खुले बाजार में बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

कटरा खुदायार खां मोहल्ला खुद वार्ड नहीं है। यह शीतला देवी वार्ड के अंतर्गत आता है। कटरा खुदायार खां में एक तथा सहादतगंज वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में कुल 06 उचित दर की दुकानें संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एड्स एवं क्षय रोग के नियंत्रण तथा प्रचार-प्रसार पर हुए व्यय का विवरण

27-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में एड्स एवं क्षय रोग के नियंत्रण हेतु प्रचार प्रसार पर विगत 5 वर्षों में कितना धन वर्षवार व्यय हुआ है ? उक्त प्रचार प्रसार में विश्व बैंक का कितना धन व्यय हुआ तथा कितना प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 में एड्स एवं क्षय रोग के नियंत्रण हेतु प्रचार-प्रसार पर विगत 5 वर्षों में निम्नवत धन वर्षवार व्यय हुआ है :--

	व्यय धनराशि (रुपये में)	
वर्ष	एड्स	क्षयरोग
2001-02	3,23,32,000	शून्य
2002-03	1,27,19,000	11,13,197
2003-04	2,61,68,000	27,72,432
2004-05	2,18,37,000	15,15,859
2005-06	3,22,47,000 (फरवरी 2006 तक)	27,52,462
योग-	12,53,03,000	81,53,950

एड्स तथा क्षयरोग नियंत्रण हेतु प्रचार-प्रसार में विश्व बैंक का क्रमशः रु0 12,53,03,000 तथा रु0 81,53,950 का व्यय हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है।

जनपद फैजाबाद के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल देवकली के प्राचार्य एवं अध्यापकों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण की मांग

28-श्री लालजी वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक कालेज में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, देवकली, फैजाबाद में प्राचार्य एवं अध्यापक 20-25 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अध्यापकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

वर्ष 2005-06 की स्थानान्तरण नीति में समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों के लिए समयावधि निर्धारित की गयी है जो समान रूप से सभी अधिकारियों पर लागू होती है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के शिक्षकों हेतु पृथक से कोई समयावधि निर्धारित नहीं है।

कतिपय शिक्षक लम्बी अवधि से कार्यरत हैं।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति की व्यवस्थानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के डा0 श्री पाल सिंह सोलंकी के विरूद्ध भ्रष्टाचार की जांच कार्यवाही की मांग

29-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा0 श्रीपाल सिंह सोलंकी जो जनपद मैनपुरी में विगत 11 वर्षों से कार्यरत हैं, के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर जांच आख्या को आयुर्वेद निदेशालय को प्रेषित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

निदेशक, आयुर्वेद के पत्र दिनांक 3-3-2006 द्वारा डा0 सोलंकी के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी गई है। उक्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने हेतु साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र निदेशक, आयुर्वेद से मांगा गया है। आरोप-पत्र प्राप्त होने पर जांच अधिकारी नियुक्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति/नियम विरूद्ध तरीके से तैनात न्यूनतम वेतनमान के अधिकरियों को उनके मूल विभाग वापस भेजने के आदेश

30-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वेतनमान रु0 5000-8000 के प्रश्नगत कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

06-03-2006 को वापस करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को राशन/योजना का लाभ दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

31-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को क्या राशन कार्ड दिये गये हैं ? क्या सभी पात्र व्यक्तियों को उक्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां।

जी नहीं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, तद्नुरूप प्रदेश सरकार द्वारा जनपदवार लक्ष्य आबंटित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चिन्हींकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मानकों के आधार पर किया जाता है तथा इन चिन्हित परिवारों में से ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक ही परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। अतः आवश्यक नहीं है कि सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलें।

संजय गांधी पी0जी0आई0 लखनऊ में वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रवरवर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति न करने के प्रकरण की जानकारी

32-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी पी0 जी0 आई0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या पी0 जी0 आई0/अधिष्ठान/7227/2002/256/एम, दिनांक 17-1-2002 के द्वारा जारी की गयी वरिष्ठता सूची में श्री दयाराम एवं श्री अमृत लाल वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 27 व 28वें स्थान पर हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 29 से लेकर 44 तक के कनिष्ठ कर्मियों को प्रोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नगत प्रकरण पर विधिक परामर्श में कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति किये जाने पर घोर आपत्ति की गयी है ? क्या सरकार वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ कर्मी श्री दयाराम व श्री अमृत लाल की प्रोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या-29 से 31, 37 तथा 44 पर अंकित कर्मी की पदोन्नति निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के कार्यालय आदेश सं0-पी0जी0आई0/अधि/प्रो0/5965/एम0/2002, दिनांक 20 मई, 2002 तथा कार्यालय आदेश सं0-पी0जी0आई0/अधि/प्रो0/1244/2003 दिनांक 14 जून, 2003 द्वारा पदोन्नति की गई तथा वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 32 से 36 व 38 से 43 तक के कर्मियों को संस्थान के कार्यालय आदेश सं0-पी0जी0आई0/निदे0/61/2003, दिनांक 02 अप्रैल, 2003 द्वारा कार्यालय सहायक ग्रेड-3 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के

पश्चात कार्यालय सहायक ग्रेड-2/प्रवर वर्ग सहायक पद पर पुनर्पदनामित किया गया है। विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 10-6-2003 में श्री एस0पी0यादव, श्री सतीश चन्द्रा एवं श्री सजीवन लाल की पदोन्नति दिनांक 3-1-2002 से किये जाने की संस्तुति की गयी। श्री दयाराम व श्री अमृतलाल दिनांक 3-1-2002 को निर्धारित अर्हता (अवर वर्ग सहायक पद पर पांच वर्ष की सेवा) पूर्ण न करने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी।

विशेष सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा संस्थान की पत्रावली में यह परामर्श दिया गया है कि श्री दयाराम व श्री अमृतलाल की पदोन्नति न किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

जी हां। न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार संस्थान की वित्त समिति/शासी निकाय के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत कर प्रवर वर्ग सहायक के पदों को सृजित कर श्री दयाराम व श्री अमृतलाल की पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बछरांवा जनपद रायबरेली में बाल विकास परियोजाना की मुख्य सेविका श्रीमती सुमिता बाजपेयी के विरूद्ध अवैध धन वसूली की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

33-कुं0 रतनजीत प्रताप नरायण सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल अकेला, सदस्य, विधान सभा का पत्रांक संख्या वि0स0/104/06, दिनांक 9-1-06 जोकि श्रीमती सुमिता बाजपेयी, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना, बछरावां, जनपद-रायबरेली द्वारा पुष्टाहार बेचने एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध रूप से धन वसूली के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 के द्वारा करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में सरोजनी नगर परियोजना में बाल विकास एवं पुष्टाहार ढुलाई में शासकीय क्षति की जांच में वसूली आदेश पर कार्यवाही की जानकारी

34-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि सरोजनीनगर परियोजना, लखनऊ में वर्ष 1993-94 से मार्च, 98 तक पोषाहार वितरण में हुई अनियमितताओं में जांच अधिकारी, अपर निदेशक, वित्त द्वारा तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपिका घोष को दोषी पाकर, श्रीमती घोष से शासकीय क्षति 84070/- रुपया वसूलने के आदेश दिनांक 28-8-2003 को पत्रांक संख्या 3337-38/वा0वि0परि0/आडिट/2003-04, द्वारा निर्गत किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त वसूली कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अपर निदेशक (वित्त) के संदर्भगत पत्र में किसी अधिकारी विशेष का उल्लेख नहीं है अपितु यह उल्लेख किया गया है कि विभागीय सम्परीक्षा प्रतिवेदन 1993-94 से 3/98 तक के सम्परीक्षा प्रतिवेदन के मूल प्रस्तर-14(29966 रुपये)16-(1,041 रुपये)24-(84,070 रुपये) की धनराशि की वसूली जांचोपरान्त एवं नियमानुसार कर सूचित किया जाय।

इस पत्र में श्रीमती दीपिका घोष का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन शासन को इस पत्र से पूर्व ही प्रकरण संज्ञान में आया था जिस पर विचारोपरान्त प्रतिवेदन के प्रस्तर 14 एवं 16 में वर्णित धनराशि कुल रुपये 31,007 की वसूली के आदेश तत्समय के आहरण एवं वितरण अधिकारी से करने का निर्णय लिया है।

प्रस्तर-24 में वर्णित 84,070 रुपये की धनराशि की वसूली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से किये जाने का निर्णय लिया गया है और अब तक 29,331 रुपये की वसूली की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

(सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ होने पर)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा सतीश महाना सहित भाजपा के अधिकांश सदस्य मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर सरकार विरोधी नारे लगाकर बढ़ने लगे)

कार्य सूची की मद संख्या-3 से 7 तक का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 से 7 तक कल लिया जायेगा।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य प्रतिवेदक मेज पर चढ़कर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में विलुप्त हो रही कछुआ प्रजाति के संरक्षण एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी तस्करी रोकने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूप मण्डल वाराणसी में छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में की जा रही अनियमितता एवं धांधली के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के बयालसी क्षेत्र के जल संकट के निवारण हेतु अधिकतम इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने के संबंध में है, चौथी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की चित्रकूट धाम में हो रहे राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजन हेतु गत वर्षो की भांति 5 लाख रूपये स्वीकृत करने के संबंध में है। पांचवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड का निर्माण कराने एवं अधिकांश स्कूलों में मिड-डे मील एवं छात्र

वृत्ति न बंट पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद्, शिकारपुर के प्रस्तावित पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगवाने तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में शहीद सुशील कुमार शर्मा मार्ग को पेंटिंग लेपन कराने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री रणवीर सिंह राणा की मेरठ के शिवालखास क्षेत्रान्तर्गत जर्जर एवं पुराने विद्युत तारों/पोलों को बदलवाने एवं 18 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में है। नवीं सूचना चौधरी महेन्द्र सिंह की अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत बसन्त विहार कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण एवं सीवर/नाली बनवाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा गौरा में स्वीकृत आश्रम पद्धति इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ हरदोई मार्ग से ग्राम लोधौसी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में गन्ना क्रय केन्द्र केदारनगर, टांडा के किसानों का गन्ना अकबरपुर चीनी मिल द्वारा न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की विधान सभा नगर पूर्व बस्ती के ग्राम गोविन्दापुर को मनोरमा नदी की कटान से बचाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जिला योजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से स्वीकृत कार्यो हेतु अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में है। इन सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

जल प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु प्रदेश में विलुप्त हो रही कछुआ प्रजाति के संरक्षण एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी तस्करी रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में जल प्रदूषण को नियन्त्रित करने में कछुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियां, तालाबों एवं पोखरों के प्रदूषित जल को प्रदूषण मुक्त के लिए कछुआ प्रजाति का विशेष योगदान है। वर्तमान समय में कछुआ प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में कछुओं की तस्करी व्यापक स्तर पर बढ़ रही है अगर इसी तरह से चलता रहा तो कछुआ प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दो, तीन वर्षों से कछुआ तस्करों ने अपना जाल फैला रखा है। ये तस्कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों से कम दामों में खरीद कर कोलकाता के मण्डी में अधिक दामों में बेचते हैं एवं विदेशों में इससे भी कई गुना दामों पर बेचते हैं। क्योंकि ज्यादातर विदेशी कम्पनियां कछुओं के विभिन्न अंगों को दवा बनाने के उपयोग लाती हैं सरकार द्वारा कछुओं में प्रजनन एवं संवर्द्धन केन्द्रों पर करोड़ों रुपया खर्च करती हैं परन्तु उनकी सुरक्षा और उनके मारे जाने के खिलाफ न तो कोई अभियान ही चला और न ही कोई सख्त कदम उठा रही है। अगर इसी तरह से कछुओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की तस्करी होती रही तो कछुओं का अस्तित्व समाप्त होने के साथ-साथ नदियों, तालाबों में जल प्रदूषण बढ़ेगा, जिसका कुप्रभाव वन्यजीवों एवं मानव जीवन पर पड़ेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूप मण्डल वाराणसी में छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में की जा रही अनियमितता एवं धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ मिश्र-

[मैं आपका ध्यान सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूप मण्डल वाराणसी में छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में की जा रही अनियमितता एवं धांधली के तहत आकर्षित करना चाहता हूं, जो छंटनीशुदा कर्मचारी वर्ष 1975 से लगातार कार्यरत रहे हैं, उनको छंटनी के बाद नियमित नौकरी में नहीं रखा जा रहा है जबकि उसके बाद के वर्ष 1982 के छंटनीशुदा कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति कर दी गयी है। श्री जगनारायण, बेल्दार के पद पर दिनांक 29-8-70 से 22-12-75 तक नलकूप मण्डल वाराणसी के अन्तर्गत नलकूप खण्ड (तत्कालीन डाल सिंचाई खण्ड) में कार्यरत रहा है। इसके पश्चात् प्रमुख अभियन्ता के अर्द्ध0प0सं0-1162/न0-9/सी-26, दिनांक 5-12-75 के अनुपालन में छंटनी कर दिया गया। इनके साथ के छंटनीशुदा कर्मचारी सर्वश्री गंगू, लालचन्द, दुर्गा प्रसाद की पुनः नियुक्ति की जा चुकी है किन्तु इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी।

उक्त से यह स्पष्ट है कि श्री जगनारायण यादव के साथ भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपरक कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों के साथ भी विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किये जाने के कारण विभाग के छंटनीशुदा कर्मियों में गम्भीर रोष की भावना व्याप्त है।

इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री जगनारायण यादव को अन्य कर्मचारियों के समरूप नियुक्ति प्रदान कर न्याय देने का अनुरोध करता हूं।]

जौनपुर के बयालसी क्षेत्र के जल संकट के निवारण हेतु अधिकतम इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदीश नारायण राय-

[विधान सभा क्षेत्र बयालसी, जौनपुर के अन्तर्गत दो नदियां बहती हैं। सूखा एवं आवर्षण से क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई आदि का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियों के कारण जलस्तर अत्यन्त नीचे चला गया है। पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है जिससे लोग बहुत ही परेशान हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 ग्राम्य विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्षेत्र में अधिकतम इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चित्रकूट धाम में हो रहे राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजन हेतु गत वर्षों की भांति 5 लाख रुपये स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महान चिन्तक डा0 राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना पर आधारित राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन देश के प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट धाम में विगत 32 वर्षों से होता आ रहा है। मेले में देश भर से रामकथा में मर्मज्ञ विद्वान, कथा वाचक, सांस्कृतिक दल एवं कलाकार भगवान श्री राम के आदर्श के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के संदेश देते हैं।

जनता पार्टी की सरकार के दौरान मेले के पांचवे अनुष्ठान का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया था। तब स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण मेले के अध्यक्ष थे। मेला आयोजन करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से 5 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होता था, परन्तु वर्ष 2004-05 में अनुदान में भारी कटौती उ0 प्र0 शासन द्वारा कर दी गयी है तथा मात्र डेढ़ लाख रुपये प्रदान किये।

राष्ट्रीय रामायण मेला का 33वां अनुष्ठान 26 फरवरी, 2006 से चित्रकूट धाम में है। परन्तु उ0 प्र0 सरकार द्वारा रामायण मेला को प्रतिवर्ष दिये जाने वाला अनुदान अभी अधर में लटका हुआ है तो दूसरी तरफ चित्रकूट स्थित रामायण मेला भवनम् में दो कमरे समाजवादी पार्टी की तालाबन्दी के शिकार हैं। दरअसल पिछले दिनों मेला भवनम् में सपा ने अपना चिन्तन शिविर आयोजित किया था, तबसे ही दो कमरों में सपा के ताले झूल रहे हैं।

राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन प्रदेश की महत्ता को दर्शाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। खेद का विषय है कि सरकार द्वारा अभी तक मेला हेतु अनुदान भी स्वीकृत नहीं किया गया है तथा सपा द्वारा अवैध रूप से दो कमरों पर कब्जा कर रखा गया है। इस कारण प्रदेश व उस क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है, अतः सरकार से विगत वर्षों की भांति 5 लाख रुपये अनुदान स्वीकृत करने तथा दोनों कमरों का अवैध कब्जा हटाने की मांग करता हूं।

उपरोक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड का निर्माण कराने एवं अधिकांश स्कूलों में मिड-डे मील एवं छात्रवृत्ति न बंट पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मैं सरकार का ध्यान अपने जनपद पीलीभीत की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि शासन द्वारा जनपद पीलीभीत के 1087 प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 715 विद्यालय में किचन शेड

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(रसोई) निर्माण हेतु रुपये 3,62,25,000 का बजट जारी किया गया इसमें अधिकांश धनराशि को ग्राम निधि के खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया परन्तु किचन शेड निर्माण की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त आज तक लगभग 343 ऐसे विद्यालय हैं वहा किचन शेड निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ 715 में मात्र 190 किचन शेड बने हैं भोजन चलाने के लिये विद्यालयों के कमरों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य चौपट सा हो गया या फिर खुले आसमान के नीचे भोजन बनाकर बच्चों में तरह-तरह की बीमारियों की दावत दी जा रही है इतना ही नहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण 60 से 70 प्रतिशत स्कूलों में मिड-डे मील व छात्रवृत्ति नहीं बंट रही है इससे नव निर्वाचित प्रधानों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अत्यन्त ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के प्रस्तावित पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगवाने तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुंशी लाल गौतम-

[जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् शिकारपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा नगर पालिका कार्यालय मे लाई हुई (खरीदी हुई) रखी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायियों तथा क्षेत्रीय जनता ने अनेकों बार प्रदर्शन करके उसको लगवाने के लिए ज्ञापन सम्बन्धित अधिकारियों को दिये थे और नगर पालिका में प्रतिमा लगाने के लिए फाउण्डेशन भी बना हुआ है। और वह प्रतिमा केवल 02 अक्टूबर जयन्ती के समय रखी जाती है और बाद में कार्यालय में रख कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, गरीब और मजदूरों, दलित-शोषित-पीड़ितों, हर वर्ग के गरीब की बात देश और देश के बाहर बड़े जोरदार ढंग से रखी थी, आज देश में महापुरुषों का अपमान राजनैतिक द्वेष, ईर्ष्या, जातिवाद के कारण पनप रहा है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की लाई प्रतिमा प्रस्तावित पार्क में लगवाने तथा पार्क के सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में शहीद सुशील कुमार शर्मा मार्ग को पेटिंग लेपन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम भडंगपुर का निवासी शहीद सुशील कुमार जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए माह फरवरी, 2000 में वीर गति को प्राप्त हो गये जिसकी अन्त्येष्टि श्रद्धांजलि ग्राम भडंगपुर में की गयी है तथा उसी मार्ग का नाम सुशील कुमार शहीद मार्ग रखा गया है। उपर्युक्त मार्ग कच्चा खड़न्जा है। जनता की मांग है कि इस मार्ग को जो कि लगभग 2 किलोमीटर है। पेन्टिंग लेपन मार्ग बनाया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त शहीद मार्ग का निर्माण पेन्टिंग कराने के निर्देश देने की कृपा करें। प्रश्न जनहित व अविलम्बनीय है।]

मेरठ के शिवालखास क्षेत्रान्तर्गत जर्जर एवं पुराने विद्युत तारों/पोलों को बदलवाने एवं 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रणवीर राणा-

[हमारे क्षेत्र में मौसम की बेरुखी के कारण सामान्य से काफी अधिक गर्मी पड़ रही है जिससे किसानों को अपने फसल बचाने के लिए अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए ज्यादा विद्युत आपूर्ति किसानों में मांग बढ़ रही है दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र के किसानों को लगभग वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्र के विद्युत तार एवं जर्जर होकर लगभग समाप्त होते जा रहे हैं, किसानों से कैपीसीटर से प्रत्येक माह अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जा रहा है।

अतः मैं सरकार को इन गले सड़े विद्युत तार एवं पोलों के लिए एवं कैपीसीटर शुल्क समाप्त करने का अनुरोध करता हूं तथा कम से कम इस दैवीय आपदा से बचने के लिये 18 घण्टे बिजली विद्युत आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं।]

धन्यवाद।

अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत बसन्त विहार कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण एवं सीवर/नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महेन्द्र सिंह-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत एटा चुंगी के नजदीक बसन्त विहार कालोनी मे सड़क क्षतिग्रस्त होने तथा पानी की निकासी न होने के कारण वहां रहने वाले कालोनियों के दरवाजे पर जगह-जगह गन्दे पानी का जल-भराव रहता है। जिससे उक्त कालोनी के लोगों को तरह-तरह के सक्रामंक रोग फैलने की आशंका होती है। उक्त सड़क लक्ष्मी मार्केट सिंघल धर्म कांटे से रणधीर सिंह के मकान से सूरजपाल सिंह के मकान से होते हुए विक्रम के मकान से होते हुए हरि सिंह प्रिसिंपल के मकान से होते हुए रणधीर सिंह के मकान तक, राम स्वरूप गुप्ता के मकान से रतन लाल उप निरीक्षक पुलिस के मकान तक सड़क अति क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे गड्ढों में पानी भरा रहता है तथा निकासी हेतु सीवर/नाली बनाने एवं सड़क की मरम्मत कराने से उक्त कालोनी के लोग सुरक्षित हो सकेंगे। इस विषय को लेकर वहां रहने वाले लोगों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क एवं सीवर/नाली बनवाये जाने तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा-गौरा में स्वीकृत आश्रम पद्धति इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा-गौरा में विकास खण्ड-मेंहनगर में आश्रम पद्धति इण्टर कालेज स्वीकृत है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा आश्रम पद्धति इण्टर कालेज के निर्माण के लिए आवेदन-पत्र की प्रक्रिया पूरी कर समाज कल्याण मंत्री के यहां जमा किया गया है जबकि 16 जिलों में आश्रम पद्धति इण्टर कालेज स्वीकृत है।

अतः मैं आपसे लोकहित के महत्व के विषय पर शा[illegible] ध्यान आकृष्ट कराते हुए आश्रम पद्धति इण्टर कालेज के निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ हरदोई मार्ग से ग्राम लो[illegible]ी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में लखनऊ हरदोई मार्ग से गांव गुलाबखेड़ा होते हुए गांव लोधौसी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण अति आवश्यक है। इस रास्ते से कई गांवों की जनता का आना-जाना है। यह एक जनहित का मामला है।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को नियम 301 में ग्रहण करने की कृपा करें।

सादर।]

जनपद अम्बेडकर नगर में गन्ना क्रय केन्द्र केदार नगर टाण्डा, के किसानों का गन्ना अकबरपुर चीनी मिल द्वारा न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा-

[जनपद अम्बेडकर नगर में गन्ना क्रय केन्द्र केदार नगर टाण्डा, के किसानों का गन्ना अकबरपुर चीनी मिल्स द्वारा न खरीद कर उक्त मिल्स द्वारा दूसरे जनपदों का गन्ना बिना आवंटन के खरीदा जा रहा है। गन्ना क्रय न किये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के किसानों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा नगर पूर्व बस्ती के ग्राम गोविन्दापुर को मनोरमा नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[मेरे विधान सभा नगर पूर्व में मनोरमा नदी के किनारे बहादुरपुर ब्लाक केन्द्र के दक्षिण पूर्व गोविन्दापुर गांव बसा है। इस गांव को मनोरमा नदी कई वर्षों से काट रही है। यदि इस वर्ष इस गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को कटान से नहीं बचाया गया तो पूरा गोविन्दापुर गांव नदी में विलिन हो जायेगा। ऐसी स्थिति में करीब 100 घर उजड़ जायेंगे। इससे भारी धन जन की हानि होगी इसलिए इस गांव को बचाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर गांव बचाने के लिए शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जिला योजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वर्ष 2003-04 व 2004-05 में जिला योजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग उ0प्र0 से जो कार्य स्वीकृत हुए थे उनका 80% धन जिले में भेजकर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य करा दिया गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग को भिजवा दिया गया परन्तु उसका शेष 20% धन अभी तक विभाग के द्वारा अवमुक्त नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में कई बार रिमाइन्डर भेजे गये, व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहा गया परन्तु सभी प्रयास अभी तक निष्फल रहे हैं। जनहित में यह कार्य पूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि इसका लाभ जनता को मिल सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अवशेष धन 20% शीघ्र भिजवाने का आग्रह करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

डा0 सुशील चौधरी की सूचना अस्वीकार की गई।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 †

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करते हुए सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :- † दिनांक 21 मार्च, 2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं 2.30 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गये तथा मेजों पर चढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 की कोई सूचना नहीं ली जाएगी। नियम-56 की सूचना कल ली जाएगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 मार्च, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई पहली सूचना श्री दया राम की जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत ससुर खदेरी नदी पर अवशेष पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है-वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, दूसरी सूचना श्री रामनरेश यादव की जनपद आजमगढ़ स्थिति बड़ी सरयू नदी (घाघरा नदी) में डूबते हुए बच्चों को जीवित बचाने वाली पन्द्रह वर्षीय कुमारी माला पटेल को राष्ट्रीय पदक से पुरस्कृत करने एवं मृत बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है-वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तीसरी श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हिस्ट्रीशीटर श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है-वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में प्रदेश के फुटबाल खिलाड़ियों के लिए छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में है- केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, पांचवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है- केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रदेश में स्टाम्प आयुक्त के निर्देश के बाद स्टाम्प विक्रेताओं के हड़ताल पर चले जाने के सम्बन्ध में है- केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, सातवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की गवर्नमेन्ट पालीटेक्निक बाराबंकी में हो रही भारी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है-ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, आठवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय सहकारी समितियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के सम्बन्ध में है-ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, नवीं सूचना श्री कौशल किशोर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लिपिक वर्ग में प्रोन्नतियां न किए जाने के सम्बन्ध में है-ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की हाईकोर्ट, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के बाद भी उ0 प्र0 माध्यमिक वित्त

विहीन शिक्षक कल्याण संस्थान के अध्यक्ष द्वारा अनुपालन न किए के सम्बन्ध में है-ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री रामकरन आर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्री जगदीश नारायण राय, श्री रणवीर राणा, डा0 यशवन्त सिंह, डा0 विनोद तिवारी, श्री मदन चौहान, श्री बीजू पटनायक, श्री राम विशुन आजाद, श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री रामहेत भारती, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री मुंशी लाल गौतम।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़कर नारे लगाते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

मेरठ नगर के गढ़मुक्तेश्वर रोड पर स्थित 'जयभीम' नगर नामक मलिन बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत स्थित जय भीम नगर ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.....मलिन बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उक्त बस्ती में जल निगम/नगर निगम के माध्यम से 16 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं। इन 16 हैण्डपम्पों में से 06 हैण्डपम्प काली नदी की 300 मीटर परिधि के अन्तर्गत लगे हुए हैं, जिनका पानी पीने योग्य नहीं है। इन हैण्डपम्पों की और अधिक गहराई पर रिबोरिंग का कार्य कराये जाने हेतु जल निगम के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। शेष 10 हैण्डपम्पों का पानी पूर्णतया पीने योग्य है। इसके अतिरिक्त विधायक निधि से भी 02 नग हैण्डपम्प 02 माह पूर्व अधिष्ठापित किये गये हैं जिनका पानी भी पीने योग्य है। जलकल विभाग के अभियन्ताओं द्वारा स्थल का भौतिक परीक्षण कर लिया गया है, जिसमें यह तथ्य सामने आये हैं कि उक्त बस्ती में स्थापित अधिकांश हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य है। काली नदी से 300 मीटर की परिधि के अन्दर जो हैण्डपम्प लगे हैं, उनमें पीला पानी आ रहा है। स्थल पर भलीभांति यह भी पुष्टि कर ली गयी है कि हैण्डपम्पों के कारण विगत एक वर्ष से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। उक्त बस्ती में अधिकांश लोगों द्वारा अपने घरों में निजी भारत मशीन

नोट :- [ ] का अंश पढा हुआ माना गया।

(छोटे) हैण्डपम्प लगाये गये हैं, उनमें से मात्र 5-6 हैण्डपम्पों में ही पानी पीने योग्य है। शेष हैण्डपम्पों का पानी पीला आने के कारण पीने योग्य नहीं है। नागरिकों को उक्त हैण्डपम्पों का पानी न पीने की सलाह दी गयी है।

2-उक्त के अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधा एवं नगरीय निर्धनों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में प्रदेश के 7 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें मेरठ शहर भी सम्मिलित है। उक्त योजना के अन्तर्गत पूरे मेरठ महानगर की पेयजल योजना, मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गयी है, जिसमें जयभीम नगर मलिन बस्ती भी सम्मिलित है।]

काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अवकाश प्राप्त ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.....शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2003 तक पेंशन भुगतान होता रहा है। इसके बाद इनका पेंशन भुगतान रोक दिया गया जिसके कारण सभी को जीवन-यापन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में मा0 सदन को यह अवगत कराना है कि डी0ए0वी0 कालेज, वाराणसी, आर्य महिला महाविद्यालय, वाराणसी, बसन्त कन्या महाविद्यालय, वाराणसी एवं बसन्त कालेज फार वूमेन, वाराणसी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालय है। उक्त चारों महाविद्यालय राज्य सरकार से पूर्ण रूपेण सहायता प्राप्त महाविद्यालय नहीं है और राज्य सरकार द्वारा वेतन आदि के भुगतान हेतु मात्र 47.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और 47.5 प्रतिशत अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है शेष 05 प्रतिशत महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं महाविद्यालयों द्वारा आनुपातिक रूप से पेंशनरी व्ययभार वहन किये जाने पर पेंशन स्वीकृत की जानी है। महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र ने पेंशनरी व्ययभार

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहन करने में असमर्थता व्यक्त की है तथा आयोग की प्रतिक्रिया ज्ञात नहीं हुई है। मामले में उक्त महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आनुपातिक अंशदान प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा वर्ष 2005-2006 में आयोजित बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री(श्री मोहम्मद आजम खां)-

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा वर्ष 2005-2006 में आयोजित बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[1] आयोजित की गयी थी। 85 हजार छात्र एवं छात्राएं उसमें बैठे थे। परीक्षा शुल्क के रूप में लगभग 211 करोड़ रुपया वसूला गया तथा लगभग आठ माह से ऊपर होने के बावजूद प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया। शून्य सत्र होने की सम्भावना बन गयी है। नियमित अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं हो पाये हैं। उल्लेखनीय है कि स्ववित्त पोषित बी0 एड0 महाविद्यालयों द्वारा नियमानुसार मैनेजमेन्ट कोटे के 50 प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं की प्रवेश दे दिया गया। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से साधन विहीन, मध्यम एवं सामान्य एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के समक्ष प्रवेश न हो पाने के कारण भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय के इस कृत्य पर शासन से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में दिनांक 15 फरवरी, 2006 को यह सूचना दी गयी कि प्रकरण में तथ्यपरक जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मांगी गयी है। उक्त के क्रम में चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक सम्बद्धता/574, दिनांक 18-2-2006 द्वारा सूचित किया गया है कि-

विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित बी0 एड0 महाविद्यालयों के सत्र 2005-06 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। बी0 एड0 के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया/काउंसलिंग दिनांक 26, 27 एवं 28 दिसम्बर, 2005 को सम्पादित की गयी तथा प्रतीक्षा काउंसलिंग दिनांक 03-02-2006 को सम्पादित की गयी है। अनुदानित महाविद्यालयों में बी0 एड0 पाठ्यक्रम का पठन-पाठन दिनांक 16-01-2006 से प्रारम्भ हो गया है। विषयान्तर्गत प्रकरणों में मण्डलायुक्त/तत्कालीन कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से

नोट :-[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बद्ध स्ववित्त पोषित 141 स्थायी/अस्थायी संस्थानों/महाविद्यालयों में पायी गयी कतिपय कमियों को दर्शाते हुये पृथक-पृथक पत्र माननीय महामहिम कुलाधिपति महोदय के संज्ञानार्थ एवं निर्णयार्थ प्रेषित किये गये थे जिनमें से अभी तक 101 स्ववित्त पोषित संस्थानों/महाविद्यालयों के विषय में कोई आदेश विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रश्नगत स्ववित्त पोषित बी0 एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों की सम्बद्धता की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थानों में बी0 एड0 की काउंसलिंग नहीं करायी जा सकी है। इन संस्थानों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में श्री कुलाधिपति की अनुज्ञा के उपरान्त ही बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

3-प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0 एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों की निरीक्षण/जांच शासन के पत्र संख्या-4607/सत्तर-2-2004--3(19)/2004, दिनांक 04 जनवरी, 2005 द्वारा करायी गयी जिनमें पायी गयी कमियों के आलोक में यथोचित निर्णय हेतु प्रकरण श्री कुलाधिपति को संदर्भित है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 की उपधारा (2) के परन्तुक में सशर्त सम्बद्धता एक निश्चित अवधि के लिये दिये जाने का प्राविधान है तथा उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त संबंधित पाठ्यक्रम में कमियां विद्यमान होने पर सम्बद्धता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

4-इस प्रकार स्पष्ट है कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा वर्ष 2005-06 में आयोजित बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा का परिणाम अनुदानित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में घोषित किया जा चुका है और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर इन महाविद्यालयों में बी0 एड0 पाठ्यक्रम का पठन-पाठन प्रारम्भ हो चुका है। स्ववित्त पोषित बी0 एड0 पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में श्री कुलाधिपति के निर्णयानुसार काउंसिलिंग के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बाराबंकी स्थित बुढ़वल शुगर मिल राम नगर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद बाराबंकी स्थित बुढ़वल शुगर मिल, रामनगर के बन्द-----

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.....कर दिये जाने व अभी तक किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने, मिल को आवंटित गन्ने के सेक्टर को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने की सूचना देते हुये किसानों के गन्ने का भुगतान कराये जाने एवं बुढ़वल चीनी मिल को आवंटित सेन्टर में बचे गन्ने की पेराई सुनिश्चित कर दूसरे मिल को भेजने की व्यवस्था तत्काल करने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बुढ़वल चीनी मिल द्वारा दिनांक 4-2-2006 को नोटिस/प्रचार-प्रसार के माध्यम से किसानों से अनुरोध किया गया था कि जो भी गन्ना उपलब्ध हो उसकी आपूर्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित कर ली जाय। दिनांक 08-2-2006 को चीनी मिल गन्ने के अभाव में बन्द रहीं। दिनांक 10-2-2006 को मिल द्वारा गन्ने की खुली खरीद की जा रही थी परन्तु क्षेत्र में गन्ना न होने के कारण मिल 10.35 बजे गन्ने के अभाव में बन्द रहीं दिनांक 12-2-2006 को 4.35 बजे से गन्ने की आपूर्ति बन्द हो गयी। दिनांक 13-2-2006 को सचिव, सहकारी गन्ना समिति से नो केन प्रमाण-पत्र मांगकर पेराई सत्र 2005-2006 का पेराई कार्य बन्द करने की सूचना दी गयी तथा सचिव सहकारी गन्ना समिति, बुढ़वल एवं जिला गन्ना अधिकारी की सहमति से दिनांक 13-2-2006 को चीनी मिल का पेराई कार्य बन्द कर दिया गया है।

3-बुढ़वल इकाई द्वारा 3.397 लाख कु0 गन्ने की पेराई की गयी जिसके विरुद्ध 385.46 लाख रुपये (अनन्तिम) गन्ना मूल्य देय हुआ जिसमें से 80 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यद्यपि उक्त मिल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है फिर भी उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम अवशेष बची धनराशि के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था हेतु प्रयासरत है।

4-चीनी मिल को आवंटित गन्ने के सेक्टर को अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि मिल इकाई को दिनांक 8-2-2006 को क्रय केन्द्र बदोसराय, बरोलिया एवं कड़ाकापुर के प्रथम भाग को अवशेष अवधि के लिये आवंटित किया गया तथा केन्द्रों से प्राप्त सूचनानुसार एक ट्रक गन्ना खरीद कर जरवल रोड इकाई को पहुंचाया गया। उक्त क्रय केन्द्रों के प्रथम भाग पर एवं चीनी मिल के गेट पर जो गन्ने की आपूर्ति होगी उसे चीनी मिल अपने संसाधन से जरवल रोड इकाई को आपूर्ति करायेगी, जिसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है। दिनांक 13-2-2006 से उक्त क्रय केन्द्रों के प्रथम भाग से प्रतिदिन 500 कु0 प्रति क्रय केन्द्र के इन्डेन्ट दे दिये गये हैं परन्तु गन्ने की आमद कम है।]

चित्रकूट में रामायण मेले के आयोजन हेतु सरकार द्वारा अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

चित्रकूट में रामायण मेले के आयोजन हेतु ....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[..... पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में भी विभाग द्वारा इस आयोजन हेतु रु0 1.50 लाख अनुदान की धनराशि अवमुक्त की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है। यह धनराशि पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-12524/15-1-1251/2005-06 दिनांक 06 फरवरी, 2006 के द्वारा ड्राफ्ट संख्या-607020 दिनांक 01 फरवरी, 2006 के माध्यम से जिला अधिकारी चित्रकूट को प्रेषित की जा चुकी है।

जहां तक भवन के दो कमरों में ताले बन्द होने का सम्बन्ध है, यह प्रकरण पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।]

जनपद भदोही में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पुलिस की गोली से श्री गिरीश नरायन पाण्डेय की मृत्यु हो जाने एवं उनके परिवार को सहायता न दिये जाने तथा घटना की सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद भदोही में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[पुलिस अधीक्षक, संतरविदास नगर भदोही से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 14-10-05 को जनपद भदोही ब्लाक में जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मतदान हो रहा था। मतदान के समय सायंकाल जिलाधिकारी एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तथा थानाध्यक्ष चौरी हमराही कर्मचारीगण के साथ भ्रमण करते हुए चौरी लच्छापुर चौराहे पर पहुंचे तो सड़क पर तख्त, ड्राम व बांस की मजबूत तथा ईंट पत्थर आदि लगाकर 200-250 व्यक्ति भदोही वाराणसी मार्ग को जाम किये हुए थे। अधिकारीगण जब वाहन से उतरकर हैल्मेट पहनते हुए स्थिति की जानकारी करने हेतु आगे बढ़े तो भीड़ में से दो लड़के लाठियां भाजते हुए नारेबाजी करते हुए उक्त अधिकारियों को रोकने के लिए आगे आने लगे। अधिकारियों द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु जाम लगाने वाली भीड़ नारेबाजी करते पथराव करने लगी, ऐसी स्थिति में गाड़ियों को छोड़कर हमराही फोर्स के साथ लाठी डन्डा पटक कर भीड़ को हटाने का निर्देश दिया गया। भीड़ द्वारा भयंकर पथराव करने से कई अधिकारी व कर्मचारी घायल हुए। इसी बीच भीड़ से कट्टे के फायर की आवाज भी आने लगी। हमराही पुलिस बल के सहयोग से किसी तरह भीड़ को खदेड़ने में सफलता मिली। तत्पश्चात् अधिकारियों द्वारा आगे बढ़कर देखा गया तो सड़क के दक्षिण तरफ 25 वर्षीय युवक गम्भीर अवस्था में घायल पड़ा मिला, जिसके सिर में चोट थी। उसे तत्काल गाड़ी द्वारा भदोही चिकित्सालय भेजा गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पथराव की घटना में जिलाधिकारी/तत्कालीन पुलिस

नोट :-[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधीक्षक सहित हमराही पुलिस एवं पी0ए0सी0 के लगभग 10-15 जवानों को चोटें आयी। इस सम्बन्ध में थाना चौरी पर दिनांक 14-10-05 को समय 19 बजे मु0अ0सं0-719/05 धारा-147/148/149/307/332/341 भा0द0वि0 व 7 क्रि0ला0 अमेण्डमेंट एक्ट व 136 लो0प्र0 अधि0 बनाम 200-250 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

मृतक गिरीश पाण्डेय के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के तहत रु0 10,000/. की धनराशि व इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा जन सहयोग से रु0 50,000/. की धनराशि भी दिलायी गयी। अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष काइरौना द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान धारा-304 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी विवेचक द्वारा की गयी है। पुलिस अधीक्षक, संतरविदास नगर भदोही द्वारा अवगत कराया गया है कि विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में मामले की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।]

गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के समय गांव में बसी आबादी की भूमि न छोड़ने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के समय.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[माननीय विधायक के उक्त पत्रों में प्रमुखतः ग्राम सैनी, घोड़ी बछैड़ा व डाबरा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा पुरानी आबादियों को अधिग्रहण में लिये जाने का वर्णन किया गया है। उक्त ग्रामों के अर्जन प्रस्तावों में निहित भूमि के मध्य पड़ रही आबादी के सम्बन्ध में अर्जन प्रस्ताव भेजने के पूर्व अर्जन निकाय, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया था। प्राधिकरण द्वारा आबादी वाला क्षेत्रफल छोड़ने के उपरान्त ही अर्जन प्रस्ताव भेजे गये हैं।

कतिपय खसरा नम्बरान ऐसे भी हैं जो बन्दोबस्ती आबादी से काफी दूर पड़ रहे तथा जिन पर छितरें रूप में कहीं-कहीं पर निर्माण बने पाये गये थे, ऐसे खसरा नम्बरान छितरे हुए होने के कारण व नियोजन के मध्य पड़ने के कारण इनका अर्जन किया जाना इस आधार पर प्रस्तावित किया गया था कि जितने भाग पर निर्माण बना है उतना क्षेत्रफल 5% आबादी आवंटन के समय अतिरिक्त रूप में समायोजित कर उपलब्ध कराया जायेगा। अतएव अर्जन प्रस्ताव में कोई भी निर्मित एवं प्रयुक्त आबादी सम्मिलित नहीं की गयी है।

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण द्वारा एक सुस्पष्ट पुनर्वास नीति भी अपनाई जा रही है, जिसमें ग्राम के मूल काश्तकारों को प्रतिकर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस प्रदान किया जाता है तथा अर्जित क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत क्षेत्रफल विकसित करके भावी आबादी विस्तार/पुनर्वास हेतु आवंटित किया जाता है। प्राधिकरण के विकसित सेक्टरों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड योजनाओं में भी 12.5 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड ग्राम के मूल काश्तकारों को जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी है, आवंटित किये जाते हैं। साथ ही प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2003 का भी अनुपालन किया जा रहा है तथा प्रभावित काश्तकारों से पुनर्वास हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित मांग के अनुसार पुनर्वास धनराशि भी प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी के पास जमा करायी जा रही है। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में प्रायः यह प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है कि जैसे ही किसी ग्राम में अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर चार दीवारी व निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा इसे आबादी बताकर अर्जन से पृथक करने हेतु अनावश्यक प्रयास भी भू-स्वामियों द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी भूमि को अर्जन से पृथक किया जाता है तो इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

प्राधिकरण द्वारा आबादी वाली भूमि को छोड़कर ही केवल कृषि भूमि का अर्जन किया जाता है। जहां तक भविष्य में मौके पर आबादी छोड़कर अर्जन किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि अर्जन प्रस्ताव स्थल निरीक्षण के उपरान्त वास्तविक आबादी भूमि को छोड़कर भेजे जाते हैं, जिनका परीक्षण कलेक्टर द्वारा करने के उपरान्त प्रस्ताव धारा-4/17 की विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त होते हैं।]

आगरा शहर के नालों की नियमित सफाई न होने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आगरा शहर के नालों की नियमित सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि जनपद आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से भी यह जनपद अपना अलग स्थान रखता है। आगरा के प्रमुख अधिकारियों को आगरा कालेज मैदान व नूरी दरवाजा के बीच नाले की सफाई, नाला मस्ता की बगीची, महाराणा प्रताप नगर नाला, फ्रीगंज नाला, तोता का ताल/नदिया कटरा नाले

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की सफाई हेतु लिखा गया, परन्तु अभी तक उक्त नालों की नियमित सफाई न होने के कारण नालों का गन्दा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसके कारण कभी भी महामारी जैसी बीमारियों के पांव पसारने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। लोगों का रहना, पलना दुस्वार हो गया है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ने अवगत कराया है कि आगरा नगर निगम क्षेत्र में छोटे बड़े लगभग 350 नाले हैं। समस्त नाले अधिकांश खुले हुए हैं। नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से वर्षा ऋतु से पूर्व नालों की व्यापक सफाई कराता है। जिन स्थानों पर जे0सी0बी0 मशीन की पहुंच है, वहां पर मशीन द्वारा जिन क्षेत्रों में मशीन का जाना सम्भव नहीं है, वहां ठेका प्रथा पर सफाई करायी जाती है। इस कार्य में आगरा कालेज मैदान व नूरी दरवाजा के बीच नाले की सफाई, नाला मस्ता की बगीची, महाराणा प्रताप नाला, फ्रीगंज नाला, तोता का ताल/मदिया कटरा नाले की सफाई भी की जा चुकी है। नाले खुले होने के कारण घनी आबादियों में कूड़ा फैके जाने से कभी-कभी जल्दी भर जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम समय-समय पर सफाई कराता रहता है। नगर निगम में सामान्य रूप से नालों का पानी सड़क पर बहने की स्थिति नहीं है। घनी बस्तियों में खुले नालों को कवर करने हेतु कतिपय स्थानों पर जवाहर लाल नेहरू अर्बन नेशनल मिशन के अन्तर्गत योजना तैयार की जा रही है। नाले कवर्ड होने के उपरान्त वर्तमान में घनी आबादियों में नाले भरने की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी।]

(घोर व्यवधान बना रहा)

पीलीभीत जिला जेल में शाहजहांपुर निवासी मुकेश राठौर (बन्दी) की पुलिस द्वारा उत्पीड़न के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पीलीभीत जिला जेल में शाहजहांपुर निवासी मुकेश राठौर (बंदी).....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विचाराधीन बंदी मुकेश राठौर पुत्र श्री लल्लूराम राठौर, निवासी मोहल्ला जलालनगर, थाना-सदर बाजार, जिला-शाहजहांपुर अपराध संख्या : 71/2006 धारा-307 आई0पी0सी0, थाना-सुनगढ़ी (2) अपराध संख्या : 70/2006 धारा-307,394,411 आई0पी0सी0 थाना-सुनगढ़ी (3) अपराध संख्या :शून्य/2006-धारा-41/02 सी0आर0पी0सी0, 411 आई0पी0सी0, थाना-सुनगढ़ी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4)-अपराध संख्या : 73/2006 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना-सुनगढ़ी के अन्तर्गत दिनांक : 28-1-2006 को जिला कारागार में निरुद्ध हुआ था।

2-महानिदेशक, कारागार से प्राप्त सूचना के अनुसार बंदी मुकेश द्वारा दिनांक : 02-02-2006 को लगभग 11.00 बजे दिन में आत्महत्या कर ली गयी। बंदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण "एसफेक्सिया ड्यू टू एन्टीमार्टम हैंगिंग इवेन इफ विसरा रिजर्व" बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित एण्टीमार्टम एन्जरी में गर्दन के पास लाई गेचर मार्क जिसका विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया है, के अलावा एक अन्य होल्ड एवरेज दाये घुटने पर अंकित है। बंदी के गुप्तागं में अथवा आस-पास अन्य कोई चोट पोस्टमार्टम के समय नहीं पायी गयी। कारागार अधीक्षक, पीलीभीत के अनुसार बंदी को कारागार के किसी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मारा पीटा नहीं गया था। कारागार में निरुद्ध बंदियों को सायरन बजाकर मारपीट किये जाने को सत्य नहीं बताया गया है। अधीक्षक, जिला करागार, पीलीभीत द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कारागार में कुछ समय पूर्व लागू की गयी पूर्ण नशाबंदी के कारण असन्तुष्ट होकर कारागार में निरुद्ध कुछ शातिर अपराधियों द्वारा अन्य बंदियों को भड़काने का असफल प्रयास इस घटना को लेकर किया गया था, जिसे समझा-बुझाकर समाप्त कर दिया गया। अपने प्रभार के बंदी मुकेश राठौर पर समुचित निगरानी न रखने के लिए बंदीरक्षक नरेन्द्र पाल सिंह को निलम्बित कर दिया गया है। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत कारापाल/प्रभारी अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत श्री एस0 सी0 शोरी को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। बंदी को मजिस्ट्रीयल जांच जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक : 24 फरवरी, 2006 द्वारा निर्देशित किया गया है। मजिस्ट्रीयल जांच अभी प्रतीक्षित है।

कारागार में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु होने पर घटना रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विभागीय जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट तथा मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने की दशा में बिसरा रिपोर्ट तथा कारागार में प्रवेश के समय कराये गये स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु समायवधि निर्धारित है। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पुनः शासनादेश महानिदेशक, कारागार एवं समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को निर्गत किया जा रहा है।]

जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास के पत्थर को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास का पत्थर हटाये जाने के संबंध में दिनांक 02-2-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी। इस संबंध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् एवं जिलाधिकारी, संत रविदास नगर भदोही से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि जिला मुख्यालय के लिये शिलान्यास ग्राम केशवपुर सरपतहा में तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री स्व0 श्री राम प्रकाश गुप्त के द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2000 को किया गया था जो वर्तमान समय में बन रहे कलेक्ट्रेट भवन के उत्तर की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर सम्पन्न हुआ था। इस स्थान पर अभी आवासीय भवन निर्माणाधीन है। इस संबंध में तत्समय दो शिलापट्ट उक्त स्थान पर लगा दिये गये थे। उस समय किये गये इस शिलान्यास के स्थल पर दिनांक 21-3-2002 को आवासीय भवन तथा अतिथि ग्रह के शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित था जिसके विरोध में स्थानीय निवासियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया था। इन लोगों ने शामियाना उखाड़कर फेंक दिया, कुर्सियां तितर-बितर कर दीं तथा शामियाने में आग लगाने की चेष्टा की तथा शिलापट्टों को तोड़ डाला। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21 मार्च, 2002 को थाना ज्ञानपुर में अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मूल शिलान्यास स्थल पर जो शिलापट्ट लगाये गये थे, वह इस घटना से क्षतिग्रस्त हो गये थे। अतएव स्थिति स्पष्ट है कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन में लगे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये किसी शिलान्यास पत्थर को नहीं उखाड़ा गया।]

जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला स्थित मोदी एक्सपोर्ट कारखाने में पड़ी भीषण डकैती के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला स्थित मोदी एक्सपोर्ट कारखाने.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद से प्रकरण में आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार मोदी एक्सपोर्ट कारखाना थाना मझोला क्षेत्र के अन्तर्गत मुरादाबाद-दिल्ली रोड से लगभग एक किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त कारखाने में पीतल, एल्मुनियम आदि से विभिन्न प्रकार के आइटम तैयार किये जाते हैं। दिनांक 28/29-12-2005 की रात्रि में 10-12 बदमाशों, नाम पता अज्ञात द्वारा फैक्ट्री की दीवार पर (पश्चिमी-उत्तरी) सीढ़ी लगाकर, फैक्ट्री के अन्दर घुसकर कुछ

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मजदूरों को एक कमरे में बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात बदमाशों द्वारा रात्रि 12.30 बजे तक चार पहिया गाड़ी में एल्मूनियम व पीतल के तैयार अधबने व बने तथा बिना पालिश के सामान तथा एक मोबाइल सेट ले जाया गया।

2-वादी/फैक्ट्री मालिक श्री विनोद खन्ना पुत्र श्री राममूर्ति सरन खन्ना, निवासी मोर्दी इन्टरनेशनल फैक्ट्री, दिल्ली रोड थाना मझोला द्वारा उक्त घटना की सूचना दिनांक 29-12-2005 को थाना मझोला पर दिये जाने के पश्चात, उक्त थाने पर मु0अ0सं0-1690/05 धारा-382 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु थाना मझोला प्रभारी एवं एस0ओ0जी0 टीम को भी लगाया गया है। घटना में मोबाइल सेट द्वारा घटना के बाद कई नम्बरों पर बातें की गई हैं, जिनको इलेक्ट्रानिक सर्वेलांस द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। वरिष्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटना का परीक्षण किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में घटना के अनावरण की पूर्ण सम्भावना व्यक्त की गयी है।]

जनपद बलिया के ग्राम मानपुर, चितबड़ागांव स्थित कु0 शीतल पुत्री शिव नारायण का अपहरण किये जाने एवं अभी तक उसका पता न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद बलिया के ग्राम मानपुर, चितबड़ागांव स्थित कु0 शीतल पुत्री शिव नारायण का अपहरण .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वादी शिवनरायण राम की पुत्री कु0 शीतल दिनांक 07-11-2005 को खेलते समय गायब हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 08-11-2005 को थाना-चितबड़ागांव पर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी। वादी अपनी पुत्री की तलाश करता रहा। उसके गांव के स्वामी नाथ राम ने उसे बताया कि उसकी पुत्री को सलीम नट पुत्र गुलाब नट साकिन मानपुर, थाना-चितबड़ागांव, बलिया, गुलाब नट पुत्र लीलाधर साकिन हरिपुर थाना-सुखपुरा, बलिया, जिया नट पुत्र महाजन साकिन मानपुर थाना-चितबड़ागांव वालिग व जिया नट का साला नाम पता अज्ञात, महावीर स्थान से टैम्पो में बैठाकर ले गये हैं। वादी ने विश्वास व्यक्त किया कि वह बी0 डी0 सी0, का चुनाव लड़ा था। ग्राम प्रधान के पति इम्तियाज व उनके भाई देबू नट साकिन मानपुर थाना-चितबड़ागांव बलिया व उनके दोस्त गंगा सिंह पुत्र भोला सिंह

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साकिन हाता मो0 चितबड़ागांव बलिया में से चुनाव लड़ने से मना किया था, इसी रंजिश के कारण इम्तियाज ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से उसकी पुत्री को गायब करा दिया है। वादी की सूचना पर दिनांक 22-12-2005 को मु0अ0सं0-152/05 धारा-363/120 बी0 भा0द0सं0 का अपराध सलीम नट आदि 07 नफर के विरुद्ध थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष, चितबड़ागांव द्वारा प्रारम्भ की गयी। क्षेत्राधिकारी सदर की देखरेख में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष चितबड़ागांव, नरही, व चितबड़ागांव थाने के एक हेड कांस्टेबिल की टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा अभियुक्तगण सलीम व गुलाब नट को दिनांक 23-12-2005 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस के दबाव से अभियुक्तगण इम्तियाज, मुख्तार, गंगा सिंह व जिया नट हाजिर अदालत हो कर जेल गये। विवेचनोपरान्त उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-12 दिनांक 09-02-2006 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। जिया नट के साले घटेली नट पुत्र सलामत नट साकिन मोहनिया थाना-क्रिमगंज, जनपद-रोहतास बिहार की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी का प्रयास जारी हैं।]

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में सैकड़ों एकड़ अतिरिक्त भूमि को भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में सैकड़ों एकड़ अतिरिक्त भूमि को भू-राजस्व अधिकारियों.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ग्राम अम्बरपुर परगना व तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 30-3-1995 को 156 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई।

2-चकबन्दी प्रक्रिया में कटौती आदि के फलस्वरूप 146.62 एकड़ भूमि सीलिंग के खाते में अंकित हुई।

3-उक्त अतिरिक्त घोषित भूमि में 138.70 एकड़ भूमि 194 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गई। शेष 3.92 एकड़ भूमि पर फर्जी अंकन की शिकायत प्राप्त हुई। जिसके निरस्तीकरण हेतु बाद उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के न्यायालय में चल रहा है तथा 4 एकड़ भूमि पर पेड़ व भवन होने के कारण आवंटित नहीं हुई, जिसके निहितन का प्रस्ताव राजस्व परिषद् को भेजा गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-उपरोक्त आवंटन से क्षुब्ध कुछ व्यक्तियों ने आयुक्त फैजाबाद, मण्डल के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का वाद दायर किया, जो अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 24-4-1998 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

5-निरस्तीकरण आदेश दिनांक 24-4-1998 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट संख्या-1241/98 नाथूराम आदि प्रति स्टेट दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने 16-4-1999 को स्थगन आदेश पारित किया।

6-जहां तक पट्टेदारों को आवंटित रकबे से अधिक व कम भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 16-4-1999 के लागू होते इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न-11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 8 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 62 विधान सभा (112)-22-5-2006-813 (डी0टी0पी0)।